

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 17TH AUGUST, 1995

\*\*\*\*\*

Government of India  
Ministry of Finance  
(Department of Revenue)

\*\*\*\*\*

NOTIFICATION

New Delhi the 17th August, 1995


S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.267 (E) dated 29th March, 1994 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12 the (a) Construction of Arts and Commerce Collge at Karvenagar, Pune in which 75 per cent beneficiaries will belong to economic and other backward classes likely to cost Rs.31.61 lakhs; (b) Construction of Phase III of Maharshi Karve Stree Shikshan Samastha Cummins College of Engineering at Karvenagar, Pune, for imparting education to 180 students in three disciplines of Engineering; likely to cost Rs.59.80 lakhs; (c) Construction of first floor including kitchen and dining unit above venubai hostel block at Hignee Stree Shikshan Samastha to accommodate 226 students belonging to weaker sections and studying in one of the institutions run by Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha, out of which 61 students will be provided mess facilities free of cost and 166 students will be provided mess facilities at half rates likely to cost Rs.15.76 lakhs of the Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha, Karvenagar, Pune as an eligible project or scheme for a period of two assessment years commencing from the assessment year 1994-95;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the power conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 hereby specifies the (a) Construction of Arts and Commerce Collge at Karvenagar, Pune in which 75 per cent beneficiaries will belong to economic and other backward classes likely to cost Rs.31.61 lakhs; (b) Construction of Phase III of Maharshi Karve Stree Shikshan Samastha Cummins College of Engineering at Karvenagar, Pune, for imparting education to 180 students in three disciplines of Engineering; likely to cost

Rs.59.80 lakhs; (c) Construction of first floor including kitchen and dining unit above venubai hostel block at Hignee Stree Shikshan Samastha to accommodate 226 students belonging to weaker sections and studying in one of the institutions run by Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha, out of which 61 students will be provided mess facilities free of cost and 166 students will be provided mess facilities at half rates likely to cost Rs.15.76 lakhs of the Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha, Karvenagar, Pune as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from the assessment year 1996-97.



(V.K. Sehgal)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 9840  
F.No. NC-77/95

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17-8-95

अधिसूचना

का.आ.ओ. १९६१ :- केन्द्रीय सरकार ने, आयकर अधिनियम, 1961  
१९६१ का 43, की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के अधीन  
दिनांक 29 मार्च 1994 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 267 अ द्वारा  
क्रम संख्या 12 क क्वेनगर, पुणे में कला और वाणिज्य महाविद्यालय का  
निर्माण, जिसमें 75 प्रतिशत हिताधिकारी आर्थिक स्तर से तथा अन्य पिछड़े  
वर्गों के होंगे, अनुमानित लागत 31 लाख 61 हजार रुपये । ख इंजीनियरी  
की तीन विद्याओं में 180 छात्रोंको शिक्षा प्रदान करने के लिए क्वेनगर,  
पुणे में महर्षि क्वे स्त्री शिक्षण संख्या क्युमिन्स कालेज आफ इंजीनियरी के तीसरे  
चरण निर्माण, अनुमानित लागत 59 लाख 80 हजार रुपये, ग हिंगनी स्त्री  
शिक्षण संस्था में विनुबाई छात्रावास के ऊपर रतोई सहित प्रथम मंजिल और  
भोजनालय यूनिट का कमजोर वर्गों के और महर्षि क्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा  
चलाई जा रही संस्थाओं में से किसी में अध्ययन करने वाले 226 छात्रों को  
वास-सुविधा देने के लिए, जिनमें से 61 छात्रों को निःशुल्क भोजनालय  
सुविधाएं दी जाएगी और 166 छात्रों को आधी दरों से भोजनालय सुविधाएं  
दी जाएगी, का निर्माण, अनुमानित लागत 15 लाख 76 हजार रुपये की परियोजना  
या स्कीम को निर्धारण वर्ष 1994-95 से प्रारंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि  
के लिए विनिर्दिष्ट किया गया था।

और उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्ष से आगे बढ़ाए जाने की  
संभावना है ।

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना  
या स्कीम उचित स्तर से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली  
1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को

तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की और सिफारिश की है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड §ख§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, §क§ कर्नेनगर, पुणे में कला और वाणिज्य महाविद्यालय का निर्माण, जिसमें 75 प्रतिशत हिताधिकारी आर्थिक रूप से तथा अन्य पिछड़े वर्गों के होंगे, अनुमानित लागत 31 लाख 61 हजार रुपये ।

§ख§ इंजीनियरी की तीन विधाओं में 180 छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्ने नगर, पुणे में महर्षि कर्ने स्त्री शिक्षण संख्या क्यूमिन्स कालेज आफ इंजीनियरी के तीसरे चरण का निर्माण, अनुमानित लागत 59 लाख 80 हजार रुपये ।

§ग§ हिंगनी स्त्री शिक्षणसंस्था में विनुबाई छात्रावास के अपर रतोंई सहित प्रथम मंजिल और भोजनालय यूनिट का कमजोर वर्गों के और महर्षि कर्ने स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में से किसी में अद्यतन करने वाले 226 छात्राओं को वास-सुविधा देने के लिए, जिनमें से 61 छात्राओं को निःशुल्क भोजनायल सुविधाएं दी जासगी और 166 छात्राओं को आधी दरों से भोजनालय सुविधाएं दी जासगी, का निर्माण, अनुमानित लागत 15 लाख 76 हजार रुपये की परियोजना या स्कीम को निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की और अवधि के लिए मात्र परियोजना या स्कीम विनिर्दिष्ट करती है ।

den

§बी. के. सहगल§

उप-सचिव, भारत सरकार

संख्या 9840

फा. सं. रन. सी-77/95